विवरण-पुस्तिका

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवबन्द

(सहारनपुर)

देवबंद के स्थानीय गण्य - मान्य जनो के प्रयासों से, जनता डिग्री कॉलेज समिति द्वारा माननीय श्री हुकुम सिंह, पूर्व राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन के कर कमलो द्वारा समर्पित, 5 एकड़ भूमि पर देवबंद में सितम्बर 1983 से राजकीय महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन स्थापित है। वर्तमान में महाविद्यालय में प्रशासनिक, कला एवं वाणिज्य संकाय भवन निर्मित है।

महाविद्यालय में कला संकाय के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा वाणिज्य संकाय में स्नातक स्तर पठन - पाठन की व्यवस्था है।

स्नातक स्तर

कला संकाय में पढ़ाये जाने वाले मुख्य विषय -

(१) हिंदी
(२) संस्कृत
(३) उर्दू
(४) अंग्रेजी
(५) राजनीति विज्ञान
(६) अर्थशास्त्र
(७) इतिहास
(८) समाज शास्त्र
(९) शारीरिक शिक्षा

छात्र/छात्रा उपर्युक्त विषयो में से कोई तीन विषय ले सकता है किन्तु विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार दो से अधिक भाषा (साहित्य) एक साथ नहीं ले सकता है। साथ ही उर्दू एवं हिंदी विषयो में से केवल एक ही भाषा ली जा सकती है। बी०ए० प्रथम वर्ष में लिए गए तीनो मुख्य विषय ही द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में रहेंगे। बी० ए० प्रथम वर्ष में विषय प्रदान करने का अधिकार महाविद्यालय की प्रवेश समिति के पास रहेगा।

वाणिज्य संकाय

बी०कॉम० में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य विषय।

स्नातक स्तर पर मुख्य विषयो के अतिरिक्त निम्नलिखित बुनियादी पाठ्यक्रम (फाउंडेशन कोर्स) तथा क़्वालीफाईंग कोर्स का भी अध्ययन करना होगा।

बी०ए० / बी०कॉम० प्रथम वर्ष में -

(१) भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय गौरव

(२) पर्यावरणीय अध्ययन

(३) खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा

(४) बी०कॉम० प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले ऐसे छात्र/छात्राए जिन्होंने इण्टर की परीक्षा वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण नहीं की है वे एलीमेंट्री एकाउंट्स की परीक्षा भी अतिरिक्त रूप में देंगे।

बी०ए० / बी०कॉम० द्वितीय वर्ष में - सामान्य जागरूकता खेल - कूद एवं शारीरिक शिक्षा का भी अध्ययन करना होगा।

बी०ए० / बी०कॉम० तृतीय वर्ष में - प्राध्यापकों के निर्देशानुसार एक बुनियादी पाठ्यक्रम एवं खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा का भी अध्ययन करना होगा।

स्नातकोत्तर स्तर

कला संकाय

एम०ए० में हिंदी, समाज शास्त्र एवं राजनीति विज्ञानं विषयो का अध्यापन किया जाता है।

विषय चुनाव में अधिक जानकारी के लिए प्रवेश समिति से संपर्क किया जा सकता है।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

(अ) प्रत्येक प्रवेशार्थी को पंजीकरण के समय निर्धारित फॉर्म के साथ निम्नलिखित परिपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। बाद में कोई भी प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

१. संस्थागत छात्रों द्वारा विगत संस्था से प्राप्त टी०सी० एवं चरित्र प्रमाण पत्र।

२. अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका।

३. जन्मतिथि को दिखाने के लिए हाई स्कूल की अंकतालिका / प्रमाण पत्र।

४. आधार कार्ड की प्रति।

५. स्नातकोत्तर कक्षाओं प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी बी०ए० तीनो वर्षो की अंकतालिका संलग्न करे।

६. बी०ए० / बी०कॉम० तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की प्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।

७. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाती प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे।

८. विकलांग वर्ग में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी मुख्य चिकित्साधिकारी (C M O) का प्रमाणपत्र संलग्न करे।

९. प्रवेश के समय अधिमान का अधिकार दिलाने वाले जैसे एन०सी०सी०, स्काउट, रोवर रेंजर, एन०एस०एस०, क्रीड़ा आदि के प्रमाणपत्र संलग्न करे।

(ब) प्रवेश के समय -

१. सभी प्रमाण पत्रों को प्रवेश के समय मूल रूप प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

२. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्रा प्रवेश के समय शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए वर्तमान

के आय-प्रमाण-पत्र की छाया प्रति अवश्य जमा करे अन्यथा उन्हें शुल्क में छूट नहीं मिलेगी।

३. सभी कक्षाओं में प्रवेश विश्विविद्यालय की प्रवेश नियमावली के अनुसार योग्यता एवं वरीयता के आधार पर होगा।

४. प्रवेश शासन एवं विश्विविद्यालय द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति को अपनाते हुए किये जाएंगे। अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का क्रमशः २१ प्रतिशत, २ प्रतिशत तथा २७ प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

५. प्रवेश हेतु आवेदन - पत्र तथा अन्य प्रपत्रों को प्रवेशार्थी स्वयं भरकर निर्दिष्ट स्थान पर अपना फोटो लगाकर कॉलेज के कार्यालय में अधिसूचित अंतिम तिथि तक जमा करा दे। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

६. मात्र पंजीकरण ही प्रवेशार्थी को प्रवेश का पूरा अधिकार नहीं बनाता। जब तक प्रवेश सम्बन्धी अर्हता या अन्य बातो को पूरा न करे और महाविद्वालय के प्रवेशाधिकारी उसके प्रवेश को स्वीकृति न दे।

७. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र पर पिता / संरक्षक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इनके अशिक्षित होने पर बाएं हाथ के अंगूठे का चिन्ह लगवाया जाए। हस्ताक्षर या चिन्ह के जाली होने की स्तिथि में किसी भी समय प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। जिसका उत्तरदायित्व मात्र आवेदनकर्ता का होगा।

८. प्रवेश के लिए प्रत्येक छात्र /छात्रा को स्वयं प्राचार्य एवं महाविद्यालय की प्रवेश समिति के समक्ष समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित प्रस्तुत होना होगा।

९. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश तिथि पर जो छात्र /छात्रा अपनी अर्हता जैसे अंकसूचियां, जाती प्रमाण पत्र, अधिभार अंको हेतु प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र व सेवारत होने की स्तिथि में नियोजक का लिखित अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा, उसका प्रवेशाधिकार समाप्त हो जाएगा।

१०. महाविद्यालय में प्रवेश के सम्बन्ध में प्रवेश समिति का निर्णय मान्य होगा। अवांछित, विवादित अथवा संशय वाले मामले प्रवेश समिति द्वारा प्राचार्य के निर्णय हेतु प्रेषित किये जा सकते है, प्राचार्य स्वयं भी ऐसे मामले अपने पास मंगा सकते है।

११. महाविद्यालय अधिकारियों द्वारा आवश्यक होने पर नियमो में उचित परिवर्तन किया जा सकता है। ये परिवर्तन छात्र एवं अभिभावक को मान्य होंगे।

१२. उन सब प्रसंगो में जिनका विवरण इस पुस्तिका में नहीं है, प्राचार्य का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

१३. महाविद्यालय में स्वच्छ वातावरण, अनुशासन एवं व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अवांच्छित, विवादित अथवा संशय वाले छात्र के प्रवेश को अस्वीकार या निरस्त करने का प्रचार्य का सर्वोपरि अधिकार सुरक्षित है।

१४. ऐसे छात्र जिन्होंने गत वर्ष अथवा उसके पूर्व वर्षो में कॉलेज का अनुशासन भंग किया है अथवा किसी प्रकार के अशांति के कारण रहे है और जिनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है या की गयी है, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

१५. ऐसे छात्र जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज है अथवा आपराधिक मामलो में संलिप्त रहे है या सजायाफ्ता है, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तथ्यों को छुपाकर मिथ्या सूचना देने वाला भी प्रवेश का पात्र नहीं होगा एवं जानकारी होने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

१६. ऐसे छात्रों को जिन्होंने विगत परीक्षा में अनुचित का प्रयोग किया हो अथवा कॉलेज के प्राध्यापकों/कर्मचारियों के साथ दुर्वव्यवहार किया हो, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश आवेदन पत्र में सूचना गलत देने पर प्रवेश होने की दशा में भी उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

१७. किसी भी स्तिथि में कोई भी छात्र निरंतर रूप से सात वर्ष से अधिक महाविद्यालय का छात्र नहीं रह पायेगा।

१८. एक एम०ए० संस्थागत रूप से उत्तीर्ण करने अथवा प्रवेश लेने वाले छात्र को दूसरे विषय में एम०ए० करने के लिए प्रवेश नहीं मिलेगा।

१९. ऐसे छात्र जो विगत परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हो या उपस्थिति पूर्ण होने पर भी परीक्षा में सम्मिलित न हुए हो। पुनः उसी कक्षा या अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। वह पूर्व छात्र (एक्स स्टूडेंट) के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

२०. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक छात्र जिन्होंने बी०ए० की परीक्षा चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के अतिरिक्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, प्रवेश के समय सम्बंधित विश्वविद्यालय का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जमा करेंगे।

२१. दो वर्ष से अधिक का अंतराल होने पर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

२२. वे विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा मान्यता प्राप्त, समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी। यदि कोई प्रवेशार्थी गलत या बिना मान्यता वाली डिग्री या सर्टिफिकेट के आधार पर प्रवेश पा जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित छात्र / छात्रा का होगा।

२३. उपर्युक्त नियमो के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा सत्र २०१८-२०१९ के लिए निर्धारित सभी नियम लागू होंगे।

शुल्क

प्रत्येक कक्षा एवं पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा, जिसकी जानकारी छात्र को प्रवेश के समय दी जायेगी और शुल्क निर्धारित तिथि के अंदर ही ऑनलाइन जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही पूर्ण माना जाएगा। शुल्क समय पर जमा न कराने पर उससे नीचे के मेरिट वाले प्रवेशार्थी को प्रवेश दिया जाएगा।

अनुशासन एवं परिचय - पत्र

छात्रों को प्रवेश के तुरंत बाद अपना परिचय- पत्र बनवाना तथा उसे महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखना अनिवार्य होगा तथा महाविद्यालय प्राचार्य अथवा किसी भी प्राध्यापक के मांगे जाने पर दिखाना पड़ेगा अन्यथा उसे बाहरी असामाजिक तत्व माना जा सकता है और उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। छात्रों में अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य से महाविद्यालय में एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड होगा। ऐसे छात्र/छात्राओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा जो महाविद्यालय के नियमो का पालन नहीं करते है अथवा आपत्तिजनक/समाज विरोधी/राष्ट्र विरोधी/कॉलेज विरोधी/ गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते है।

उपस्थिति की अनिवार्यता

प्रत्येक छात्र/छात्रा की शैक्षिक सत्र में ७५% उपस्थिति होना अनिवार्य है अन्यथा परीक्षा में बैठने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अतः सभी छात्र/छात्रा नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में अध्ययन हेतु आये।

N.C.C./N.S.S./ रोवर्स/रेंजर्स

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओ के शैक्षिक उन्नयन के साथ ही साथ उनके मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हेतु राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.), राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.), रोवर्स तथा रेंजर्स क्रू इकाई की सुविधा भी उपलब्ध है।

इन इकाइयों में उपलब्ध स्थानों के आधार पर सम्बंधित अधिकारी से संपर्क कर प्रवेश लिया जा सकता है। छात्र/छात्राओ के कार्य निष्पादन के आधार पर उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओ के शैक्षिक स्तर के उन्नयन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु पुस्तकालय में पत्र/पत्रिकाओं की व्यवस्था है। समाचार -पत्र एवं पत्रिकाओं के द्वारा दिन - प्रतिदिन की घटनाओ की जानकारी एवं सामान्य ज्ञान की अभिवृद्वि होती है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओ के शैक्षिक स्तर के उन्नयन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु पुस्तकालय में पत्र/पत्रिकाओं की व्यवस्था है। समाचार -पत्र एवं पत्रिकाओं के द्वारा दिन - प्रतिदिन की घटनाओ की जानकारी एवं सामान्य ज्ञान की अभिवृद्वि होती है। छात्र/ छात्राये खाली समय में वाचनालय में बैठकर अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि एवं आवश्यक पुस्तकों को पुस्तकालय से ले सकते है। प्रत्येक छात्र को परिचय -पत्र व पुस्तकालय कार्ड प्रस्तुत करने पर पुस्तके दी जाती है। परीक्षा प्रारंभ होने से १५ दिन पूर्व पुस्तके पुस्तकालय में जमा करनी होती है। पुस्तकों की अच्छी तरह देखभाल करना व उसे सही हालत में जमा करना अनिवार्य है।

क्रीड़ा एवं पाठ्य - सहगामी कार्यक्रम

छात्रों में बौद्धीक विकास के साथ - साथ मानसिक एवं शारीरिक विकास हेतु महाविद्यालय में विविध क्रीड़ाओं की सुविधा उपलब्ध है। छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु वार्षिक खेल - कूद प्रतियोगिताओ का आयोजन भी उच्च स्तर पर किया जाता है और उनमे प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाता है।

महाविद्यालय में समय - समय पर पाठ्य - सहगामी कार्य - कलापों में वाद - विवाद, निबंध- लेखन, कहानी व कविता लेखन आदि की प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

विभागीय परिषदें व महाविद्यालय पत्रिका

छात्र/छात्राओ में लेखन के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करने तथा उनकी सृजनात्मक प्रतिभा के उन्नयन हेतु तथा साहित्यिक गतिविधियों के प्रति उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने हेतु महाविद्यालय में 'देवजा' पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कला एवं वाणिज्य संकाय के अधीन विभिन्न विषयो में परिषदों का गठन किया जाता है। इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य विभागीय स्तर पर शैक्षणिक व्याख्यान, सांस्कृतिक एवं अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों का संचालन करना है।

शुल्क मुक्ति एवं निर्धन छात्र सहायता

महाविद्यालय ऐसे निर्धन छात्र/छात्राओ को शुल्क मुक्ति अथवा आर्थिक सहायता प्रदान करता है जिनके अभिभावकों की आय काम है और जिन्हे किसी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति या अन्य सहायता नहीं मिलती। लेकिन यह सुविधा छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन करने तथा आय प्रमाण - पत्र संलग्न करने पर ही दी जा सकेगी।

महिला प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में महिलाओं की समस्याओ के निराकरण तथा छात्राओ के कल्याणार्थ महिला प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गयी है। छात्राओ एवं महिलाओं की समय - समय पर बैठक आयोजित होती रहती है तथा इन बैठकों में उनकी सभी प्रकार की समस्याओ को दूर करने की सार्थक पहल की जाती है।

पुरस्कार

महाविद्यालय में कला एवं वाणिज्य संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओ को वार्षिकोत्सव पर पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही महाविद्यालय की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओ/ सह

शिक्षा एवं शिक्षणेत्तर प्रतियोगिताओ में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओ को वार्षिकोत्सव पर पुरस्कृत किया जाता है।

सूचना पट

महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओ से अपेक्षा की जाती है कि वह नियमित रूप से महाविद्यालय के विभिन्न सूचना पटो का अवलोकन करेंगे। महाविद्यालय में प्रवेश प्रतियोगिताओ एवं परीक्षा सम्बन्धी सभी प्रकार की सूचनाएं सूचना पट पर अंकित अथवा चस्पा की जाती है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन्हें पढ़कर तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करे अन्यथा वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

देवबन्द (सहारनपुर)